न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 43/2017 तारीख रजू:–3.4.2017

रूपचन्द पुत्र ढण्डी जाति मीना निवासी मिलकसराय तहसील नादौती जिला करौली

बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली राज0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.02.2017 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील नादौती मु0न0 72/2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूपचन्द धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.4.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार नादौती के निर्णय दिनांक 22.02.2017 से नाखुश होकर एक अपील पेश कर निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 780 रकवा 0.20 है0 भूमि चारागाह पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की गई है पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे पत्रावली मे कोई दस्तावेज शामिल नही है विवादित भूमि नाकाबिल काश्त की है। किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अन्त मे अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

रेस्पोडेन्ट की ओर से आज कोई उपस्थित नही आया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का मिलकसराय ने एक रिपोर्ट धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत आराजी खसरा नम्बर 780 रकवा 0.20 है0 चारागाह भूमि पर सम्बत 2073 रवी मे सरसो बोकर अपीलान्ट/अतिकमी द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार नादौती के समक्ष पेश की गई थी जिसमे तहसीलदार ने सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया था जिसकी तामिल स्वयं ने प्राप्त की गई थी नियम तारीख पर अपीलान्ट/अतिक्रमी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ ना ही किसी प्रकार का जबाव पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर इसी आराजी का अपीलान्टी द्वारा सम्बत 2071 खरीफ फसल मे कब्जा कर अतिक्रमण किया गया था जिसे शास्ती बेदखली से दण्डित किया गया था जो पी.14 से साबित हैं किन्तु अतिकमी उसी भूमि पर अतिचार करने से नही मानता है यह भूमि आमजन के पशुओ की चराई की भूमि है। इस प्रकार से तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है। इसमे हम किसी प्रकार का फेरबदल करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन तथ्यहीन होने पर खारिज की जाती है तहसीलदार नादौती का निर्णय दिनांक 22.02.2017का यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।